भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1105
सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

कोविड-19 के कारण रोजगार खोना

1105. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने/पुनः प्रदान करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रभावित कंपनियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है ताकि महामारी के प्रभाव के कारण रोजगार खो चुके लोगों को पुनः रोजगार मिल सके या नए रोजगार सृजित किए जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स (एबीआरवाई)ामाजिक सुरक्षा लाभों के साथसाथ नए --रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही (ईपीएफओ)यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम/करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान 12 वेतन का)%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान 12 वेतन का)%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रारंभ किया है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान किया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत आय के 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, जो लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

*****